भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4104
जिसका उत्तर मंगलवार 20 मार्च, 2018 को दिया जाना है

भारी उद्योगों को वित्तीय सहायता

4104. श्री रमेश चन्द्र कौशिक:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारी उद्योग स्थापित करने हेतु राज्यों को कोई सहायता/वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार उपलब्ध करायी गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख): उद्योग राज्य का विषय है और इसलिए, भारी उद्योग विभाग (डीएचआई) भारी उद्योग स्थापित करने के लिए राज्यों को सहायता/वित्तीय सहायता के संबंध में कोई केंद्रीकृत आकड़ें नहीं रखता है। भारी उद्योग विभाग की भूमिका केवल उन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रशासन तक सीमित है जो इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन है। चूंकि "उद्योगों की स्थापना" से संबंधित विषय को नियंत्रण मुक्त कर दिया गया है, अनेक राज्यों ने उद्योगों के विकास और वृद्धि के लिए प्रोत्साहन और योजनाएं बनाई हैं और ये राज्य अपनी प्राथमिकताओं और निवेश के माहौल के अनुसार उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करते हैं। इसलिए, इस प्रकार के ब्यौरे केवल उन्हीं के पास उपलब्ध हो सकते हैं। इसके अलावा, केंद्र सरकार वित्त मंत्रालय के माध्यम से समूचे देश में उद्योगों की वृद्धि के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में प्रोत्साहन भी उपलब्ध कराती है।

******